न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–192/14 (आरसीएमएस नं. 2014/00007)

1. नन्दलाल दत्तक पुत्र भगवान सहाय, जाति बलाई, निवासी रामपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. मु. केसरी बेवा मदनलाल,
2. राजेन्द्र पुत्र मदनलाल,
3. किशनलाल,
4. पवन,
5. हनुमान सहाय पुत्र गोपीराम, निवासी 144 ए ब्लॉक पुराना विधाधर नगर, जयपुर।
6. शिवदयाल (मृतक)
   - 6/1. रूकमणी पत्नी स्व. शिवदयाल,
   - 6/2. मालीराम पुत्र स्व. शिवदयाल,
   - 6/3. सांवरमल पुत्र स्व. शिवदयाल,
   - 6/4. मनोज पुत्र स्व. शिवदयाल,
   - 6/5. महेन्द्र पुत्र स्व. शिवदयाल,
   - 6/6. दीपक पुत्र स्व. शिवदयाल,
   - 6/7. आशा पत्नी राजेन्द्र पुत्री स्व. शिवदयाल,
   - 6/8. ममता पत्नी नरेश पुत्री स्व.. शिवदयाल, समस्त निवासी सुरपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
7. लाड़ा पुत्री गोपीराम पत्नी छीतरमल बुनकर।
8. बिदामी पुत्री रामलाल पत्नी चेतराम बुनकर, समस्त निवासी लाईब्रेरी के सामने जोबनेर तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
9. ग्राम पंचायत, रामपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 30.09.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला जयपुर के आदेश दिनांक 15.09.2014 (प्रकरण संख्या 3/2011) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि भगवाना के कोई औलाद नही होने के कारण भगवाना ने अपीलान्ट नन्दलाल को जब वह नाबालिंग था तब ही जाति–बिरादरी के रिति–रिवाज के अनुसार गोद ले लिया था और नन्दलाल भगवाना के पास ही रहा है तथा जब भगवाना अस्वस्थ हुआ तो भगवाना ने नन्दलाल को ही गोद लेने की एवं

भारतीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अपने मरने के बाद अपनी चल व अचल सम्पत्ति का मालिक होने के लिये एक लिखावट भली भांति जाति–बिरादरी एवं परिवारिक लोगों के समक्ष दिनांक 10.11.1983 को लिख दी थी, उस लिखावट में नन्दलाल के जायन्दा पिता गोपीराम एवं अन्य मौजूदा व्यक्तियों के समक्ष व तत्कालीन सरपंच के समक्ष एवं भगवाना ही पत्नी एवं दोनो पुत्रियों के समक्ष लिखावट लिख दी थी जिसमें गोपीराम, नन्दालाल को गोद देने वाला पिता है और भगवाना राम गोद लेने वाला पिता है तथा गौरादेवी गोद लेने वाली मॉ एवं भगवाना की दोनो बेटियों ने भी उक्त लिखावत पर साक्षी के रूप में अपनी अंगूठा निशानी की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त लिखावट जो बतौर गोदनामा लिखी गई है उसमें भगवाना ने अपनी इच्छा भी जाहिर की है कि मेरे मरने के बाद नन्दलाल ही वारिस व उत्तराधिकारी होगा अर्थात भगवाना ने अपनी वसीयत भी समस्त मौजिज व्यक्तियों व परिवारिक सदस्यों के समक्ष की है और गवाह में उनकी हस्ताक्षर निशानी है और इसी लिखावट के आधार पर जो उसकी अन्तिम इच्छा भी थी, ग्राम पंचायत रामपुरा ने बाद विचार–विमर्श पंच पंचायत की बैठक में उक्त नामान्तरकरण संख्या 488 अपीलान्ट नन्दलाल के नाम तस्दीक किया गया था जो किसी भी प्रकार से अवैध नही है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट जो गोपीराम के वारिस है उनका कोई सम्बन्ध भगवाना की विरासत से नही रहा है बल्कि जब भगवाना मरा तब गोपीराम जिन्दा था और गोपीराम ने अपने जीवनकाल में अपीलान्ट को ही भगवाना के गोद दिया व वारिस माना है अर्थात गोपीराम ने अपने जीवनकाल कभी भी भगवाना की विरासत प्राप्त करने की इच्छा जाहिर नही की थी क्योंकि वह जानता था कि नन्दलाल ही भगवाना का वारिस है तो गोपीराम के अन्य वारिसों को भगवाना की विरासत को चुनौती देने का अधिकार नही है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के जो अपीलाधीन निर्णय दिया है वो सरासर गलत है एवं निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है जो विरासत का नामान्तरकरण पटवारी हल्का ने दिनांक 02.03.2011 को भरा उसमें भगवाना गोपीराम, प्रभाती और मदन इन सभी की फौती का इन्द्राज विरासत हेतु कॉल्म नम्बर 14 में किया गया है और उसी आधार पर गिरदावर ने कुर्सीनामें के आधार पर रिपोर्ट दी है लेकिन जब पंचायत की मिटिंग में नामान्तरकरण तस्दीक कराने की कार्यवाही चल रही थी उस समय लिखावट दिनांक 10.11.1983 जो पंचायत के समक्ष प्रस्तुत की गई उसके आधार पर नामान्तरकरण सही रूप से तस्दीक किया गया है और उक्त नामान्तरकरण तस्दीक करते समय पंचायत की बैठक दिनांक 05.05.2011 में विपक्षीगण द्वारा कोई आपत्ति भी प्रस्तुत नही की थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस पहलू को नजरअन्दाज कर अपीलाधीन निर्णय देने में सरासर गलती की है, इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है।

मानीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 488 किसी भी रूप से विवादित नही था क्योकि किसी ने भी पंचायत से समक्ष विवाद उत्पन्न नही किया है इसिलये विपक्षीगण का यह तर्क कि भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के तहत तहसीलदार को अधिकार है, वह किसी भी रूप में मान्य नही है। उन्होने आगे कथन किया है कि हिन्दू उत्तराधिकार के तहत भी विरासत का प्रथम अधिकार मृतक की यदि कोई इच्छा है तो उसके अनुकूल होता है और मृतक भगवाना ने अपने मरने से पूर्व ही लिखावट दिनांक 10.11.1983 को अपने मरने के बाद नन्दलाल को ही वारिस बनाने की इच्छा जाहिर की है तो उसके अनुरूप ही विरासत खोला जाना आवश्यक होता है, कुसीनामें या पटवारी की रिपोर्ट उक्त लिखावट की मौजूदगी में कोई कानूनी आधार नही रखती है लेकिन फिर अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दू को नजर अन्दाज कर अपीलाधीन निर्णय देने में सरासर गलती की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायलालय उपखण्ड अध्किाारी शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.09.2014 को निरस्त करते हुए ग्राम पंचायत रामपुरा बाबत नामान्तरकण संख्या 488 दिनांक 05.05.2011 बहाल किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1264 लगायत 1270 कुल किता 7 कुल रकबा 1.83 हैक्टयर के खातेदार भगवाना पुत्र रूडा के फौत होने पर उसके वारिसान रेस्पोडेन्ट ने पटवारी हल्का से मृतक भगवाना की फौतगी नामान्तरकरण भरने की कार्यवाही करने का निवेदन किया तो पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम रामपुरा द्वारा सजरा खानदान बनाया तथा गिरदावर ने भी कुसीनामा के अनुसार अंकन सही माना लेकिन सरपंच ग्राम पंचायत रामपुरा ने अपीलान्ट को गोदपुत्र मानकर फर्जी रूप से बिना रेस्पाडेन्ट को सूचना दिये ही दिनांक 05.05.2011 को नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया जो कि विधि विरूद्ध एवं अवैधानिक है क्योंकि अपीलान्ट ने दिनांक 10.11.1983 को अपीलान्ट को भगवाना ने गोद लेना बताया है जबकि अपीलान्ट का राशन कार्ड, वोटर लिस्ट में सन् 1983 के बाद कही भी मृतक भगवाना का दत्तक होना नही बताया गया है, और इस सम्बन्ध में कोई रिकार्ड भी पेश नही किया गया बल्कि सरपंच ग्राम पंचायत रामपुरा ने षडयंत्र करके अपीलान्ट से मिलकर नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है, जो गलत होने से निरस्त किये जाने योग्य ही था।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि भगवाना के दो पुत्रीयॉ मु. प्रभाती देवी व मु. बरजी पुत्री भगवान और भगवाना की पत्नी गौरा देवी का देहान्त भी सन् 2004 में ही हुआ है इस प्रकार अपीलान्ट को मृतक भगवाना ने कभी भी गोद नही लिया था तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने के उपरान्त भी नामान्तरकण की कार्यवाही पर विचार करने में सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का दुरूपयोग किया गया है क्यांकि विवादित नामान्तरकण को विचार करने व उस पर निर्णय पारित करने का

स्थानीय आयुक्त
जयपुर

अधिकार ग्राम पंचायत को न होकर भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के अन्तर्गत तहसीलदार को प्राप्त है लेकिन सरंपच ग्राम पंचायत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नामान्तरकण संख्या 488 को स्वीकार किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय ही था। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर देने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.09.2014 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के संलग्न नामान्तरकरण संख्या 488 की छाया प्रति के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार भगवाना की मृत्यु उपरान्त पटवारी हल्का द्वारा खातेदार का सजरा खानदान अंकित करते हुए नामान्तरकरण भरकर गिरदावर हल्का के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिस पर गिरदावर हल्का द्वारा भी कुर्सीनामा के अनुसार अंकन सही मानते हुए रिपोर्ट की गई है उसके उपरान्त भी सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया गया है जबकि विवादित प्रकरणों को निर्णित करने का क्षेत्राधिकार भू रजास्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) तहत तहसीलदार को प्रदत्त है। ऐसे में नामान्तरकरण संख्या 488 पर सरंपच ग्राम पंचायत रामपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.05.2011 विधि विरूद्ध एवं कानूनी प्रावधानों के विपरित होने से उसे उचित ठहराने की ठोस कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नही थे। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मद्दे नजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.09.2014 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.09.2014 को यथावत रखा जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 30.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर